BA(H) Part -I, Paper -II

Dr. Gautam kumar
Guest Teacher
Department of Political science,
A.N.D College, Shahpur Patory, Sam.

तिलक के समाज सुधार योजना का स्वरूप
(Form of Social Reform Plan of Tilak)

तिलक राजनीतिक कर्म को सामाजिक कर्म से प्राथमिकता ही नहीं देते थे वरन् उसे पृथक रखने में भी विश्वास रखते थे। तिलक की समाज सुधार की दृष्टि से उसकी एक निश्चित योजना थी। जिसे वे क्रियान्वित करने का आजीवन प्रयास किया। तिलक के अनुसार समाज सुधार के निम्नलिखित योजना/कार्यक्रम थे, जो इस प्रकार हैं :-

1. **बाल विवाह का विरोध** - तिलक अपने समय में प्रचलित बाल विवाह प्रथा के विरोधी थे तथा वे बाल विवाह का उन्मूलन करना चाहते थे लेकिन इसे भी वे एक सामाजिक दायित्व मानते थे, एक शासकीय दायित्व नहीं। वे सामाजिक चेतना को जागृत कर उस के माध्यम से इसके विरोध के पक्षधर थे। उन्होंने ब्रिटिश शासकों द्वारा बाल विवाह को रोकने हेतु प्रस्तुत "सहमति आयु विधेयक" (The Age of consent Bill) का विरोध किया क्योंकि वे सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीय समाज में प्रचलित प्रथाओं और परंपराओं में विदेशी सरकार के हस्तक्षेप के घोर विरोधी थे। वे चाहते थे कि बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के यह कार्य भारतीय द्वारा किया जाए। उन्होंने लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव दिया।

2. **विधवा विवाह समर्थन** - तिलक के समय में रूढ़िवादी भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें किसी भी सूरत में पुनर्विवाह का अधिकार तो नहीं था। वरन् विधवा होने पर उन्हें शारीरिक दृष्टि से विभिन्न तरह के सामाजिक बंधनों में जकड़कर केशविहीन तथा वेशभूषा में परिवर्तित करके इतना विकृत कर दिया जाता था कि उसकी वजह से उसके लिए एक सामान्य जीवन जीना भी दूभर हो जाता था। इस तरह उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही दशाएं बहुत

द्रवित करने वाली थी क्योंकि उनके जीवन में एक और असहनीय भारस्वरूप हो जाता था। तिलक उनकी कष्टदायक स्थिति से मुक्ति के पक्षधर थे ताकि उन्हें एक मनुष्य के रूप में एक सामान्य जीवन जीने का अवसर और अधिकार प्राप्त हो सके। तिलक ने इस हेतु उन्हें विरूप किए जाने की प्रथा का विरोध किया तथा उन्हें चाहने पर पुनर्विवाह करने का अधिकार दिए जाने का समर्थन किया। तिलक का कहना था कि कोई मनुष्य 40 वर्ष की आयु के पश्चात पुनर्विवाह ना करें यदि वह इस आयु के पश्चात पुनर्विवाह करना चाहे तो उसे किसी विधवा से विवाह करना चाहिए।

3. **अस्पृश्यता निवारण** - तिलक समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति से अवगत थे। वह अस्पृश्यता को समाज के लिए कलंक मानते थे और उसे समाज से मुक्त करना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने उनकी प्रेरणा से आयोजित गणपति तथा शिवाजी उत्सवों में सवर्णों के साथ और अस्पृश्यो को भी सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। अस्पृश्यता निवारण हेतु उनका स्वर बहुत प्रखर था। इस आधार पर उन्होंने ईश्वर में आस्था रखते हुए यह घोषित किया कि "यदि अस्पृश्यता किसी ईश्वरीय आदेश का परिणाम है तो वे उसका पालन नहीं करते हुए ऐसे ईश्वर के अस्तित्व को नकार देंगे।" तिलक स्वयं अस्पृश्यों के साथ गहरी सहानुभूति और संबंध रखते थे। उनके द्वारा आयोजित विभिन्न समारोहों में खुलकर भाग लेते थे तथा उसके साथ बैठकर भोजन आदि ग्रहण करने में वह कोई संकोच का अनुभव नहीं करते थे। तिलक समस्या निवारण को समाज सुधार कार्यक्रम के रूप में प्राथमिकता से स्थान दिया। वे दूसरी जातियों और धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करते थे।

4.**मद्य-निषेध का समर्थन** - तिलक मद्यपान को एक सामाजिक बुराई के रूप में मानते थे। वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टि से मद्यपान को हेय आदत मानते थे जिसके कारण वे मदिरापान के घोर विरोधी थे। उसके उन्मूलन हेतु जन चेतना को जागृत कर उसके विरुद्ध प्रभावपूर्ण वातावरण निर्माण के पक्षधर थे। उन्होंने धार्मिक आधार पर यह कह कर इसका विरोध किया कि हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों में मद्यपान वर्जित है तथा इस दृष्टि से अध:पतन का मार्ग है।" अतः धर्म पालन हेतु दोनों ही धर्मों के लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। समाज में बढ़ती हुई मद्यपान की स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन को उत्तरदायी मानते थे, जो अपने लाभ के लिए इसे प्रोत्साहन दे रही थी। उनका मानना था कि विवाह उत्सव पर मद्यपान ना किया जाए तथा संपूर्ण रूप से मद्य निषेध नीति को क्रियान्वित किया जाए।
5. दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया।

6. शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार किया जाए तथा उसमें धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए।
7. प्रत्येक समाज सुधारक अपनी आय का 20 वाँ अंश समाज सुधार एवं देश सेवा हेतु प्रदान करें।